यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी वर्षा शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वा संख्या–62/2023
द प्रविष्टि दिनांक–16.06.2023
र्णय दिनांक–21.02.2024

रामस्वरूप पुत्र सुवालाल वर्मा जाति रेंगर निवासी ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र पांचूराम जाति बलाई निवासी ग्राम संदेड़ा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. शिवदयाल पुत्र हजारी लाल जाति बलाई निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार तहसील पीपलू

प्रतिवादीगण

धिवक्ता वादीगण–श्री विवेक चौधरी
धिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 02–ईरशाद अहमद खान

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात

अन्तर्गत धारा 53 रा.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 518 रकबा 1.1760 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम मोहनाबाद पटवार हल्का पीपलू द्वितीय तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर पक्षकारान् का अपने हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। किन्तु आराजी का विधिवत् विभाजन नहीं होने से पक्षकारान् के बीच मेर–कोर को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा है। प्रतिवादीगण मेर कोर को लेकर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रहे है तथा प्रतिवादीगण ने आराजी का बंटवारा कराने से भी मना कर दिया है। इस कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने हक हिस्से की आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड् बाउण्ड्स विधिवत् विभाजन करवाकर अपनी पृथक जमाबदी तैयार करवा लेवे तथा नक्शा शीट में तकास्मे अनुसार तरमीम करवा लेवे। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा पारित फरमायी जाकर वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 518 वाके ग्राम मोहनाबाद पटवार हल्का द्वितीय में पक्षकारान् के बीच विधिवत् तकास्मा किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 की र से अधिवक्ता श्री ईरशाद अहमद खान ने वकालतनामा व जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादपत्र के रा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मोहनाबाद मे होना स्वीकार है। पैरा संख्याा 02 में वर्णित आराजीयात क्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है। जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा है। विवादित राजीयात का प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा कराने हेतु सहमत है। अतः वादी द्वारा स्तुत वाद के अनुतोष को प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् बंटवारा किये जाने आदेश प्रदान किया जाना न्यायसंगत है।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की आराजी ख0न0 518 रकबा 1.1760 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम हनाबाद पटवार हल्का पीपलू द्वितीय पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस र पक्षकारान् का अपने हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। किन्तु आराजी का विधिवत् भाजन नहीं होने से पक्षकारान् के बीच मेर–कोर को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा है। प्रतिवादीगण मेर कोर ो लेकर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रहे है तथा प्रतिवादीगण ने आराजी का बंटवारा कराने से भी मना कर दिया है। इस कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने हक हिस्से की आराजीयात का बाई मेट्स एण्ड् बाउण्ड्स विधिवत् विभाजन करवाकर अपनी पृथक जमाबदी तैयार करवा लेवे तथा नक्शा शीट में कास्मे अनुसार तरमीम करवा लेवे। अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने बहस में बताया है कि पक्षकारान् तकास्मा करवाने हेतु सहमत है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् बंटवारा किया जाकर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। भूमि आराजी ख0न0 518 रकबा 1.1760 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम मोहनाबाद पटवार हल्का पीपलू द्वितीय वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। अधिवक्ता वादी ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की है। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया जाकर, उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिती में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था, जो तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 149 दिनांक 24.01.2024 से न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया जाकर। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर तकास्मा कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाद वादी डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम मोहनाबाद, पटवार हल्का पीपलू द्वितीय में प्रस्तावित तकास्मा रिपोर्ट अनुसार ख0न0 518 में से रकबा 0.6702 हैक्ट. वादी रामस्वरूप वर्मा पुत्र सुवालाल हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा. अनवरनगर उर्फ भूरावाली खातेदार व ख0न0 518 में से रकबा 0.2529 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 प्रेमचन्द पुत्र पांचूराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा0 सन्देडा खातेदार, ख0न0 518 में से रकबा 0.2529 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 02 शिवदयाल पुत्र हजारीलाल जाति बलाई सा0 पीपलू खातेदार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(वर्षा शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल्स 6व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

ब अलजास वर्षा शर्मा आर०ए०एस०

रामस्वरूप पुत्र सुवालाल वर्मा जाति रेगर निवासी ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली तह० पीपलू जिला टोंक (राज०)
वादी

बनाम

प्रेमचन्द पुत्र पांचूराम जाति बलाई निवासी ग्राम संदेडा तह० पीपलू जिला टोंक (राज०)
(कुल कस 03) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 62/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ वर्षा शर्मा उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री विवेक चौधरी एड0, मिनजानिब मुदई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01, 02 श्री ईरशाद अहमद एड0 मनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता व डिक्री दी जाती है कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम मोहनाबाद, पटवार हल्का पीपलू द्वितीय में प्रस्तावित तकास्मा रिपोर्ट अनुसार ख0न0 518 में से रकबा 0.6702 हैक्ट. वादी रामस्वरूप वर्मा पुत्र सुवालाल हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा. अनवरनगर उर्फ भूरावाली खातेदार व ख0न0 518 में से रकबा 0.2529 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 प्रेमचन्द पुत्र पांचूराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा0 सन्देडा खातेदार, ख0न0 518 में से रकबा 0.2529 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 02 शिवदयाल पुत्र बनारीलाल जाति बलाई सा0 पीपलू खातेदार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा।

निजी............................मबलिक.. बाबत........................खर्चा इस मुकददमें का व सूद वगैरह......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....
अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.02.2024 को जारी की गई।

दस्तखत..........................

उप खण्ड अधिकारी

ओहदा..........................
पीपलू (टोंक)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक)

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	50	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner